

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 35 / 2020

रेशमपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जट सिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

- 1 गुरदित्ता सिंह पुत्र सोनाराम जाति कग्गोज निवासी नूरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 सुखजीत कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जट सिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 मेहर सिंह पुत्र मोहन सिंह (फौत)
- 3/1 जरनैल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जट सिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3/2 नायब सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जट सिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3/3 सर्वजीत कौर पुत्री प्रीतम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जट सिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3/4 सरजीत कौर पत्नी प्रीतम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जट सिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राकेश सिहाग वकील वादी मिन जाभिन मुद्दई श्री दीपक स्वामी, श्री सन्त कुमार अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिव मुद्घायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- (क) चक 5 के आर डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 60/55 प.न. 92/119 मु.न. 15 कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी कुल 0.253 है. नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खाता से मेहर सिंह पुत्र मोहन सिंह, सुखजीत कौर पुत्री करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। (ख) चक 5 के आर डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 60 प.न. 98/118 मु.न. 8 कि.न. 15/2 में 0.126 है. नहरी कुल 0.126 है. नहरी आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी एव प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादी एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.1.2021 को जारी किया गया।

सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)